



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (क)  
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 09 अप्रैल, 2010

चैत्र 19, 1932 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार  
वन अनुभाग-5

संख्या 570/14-5-2010-57-2006

लखनऊ, 09 अप्रैल, 2010

अधिसूचना

सा०प०नि०-205

जैव विविधता अधिनियम, 2002 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2003) की धारा 63 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता नियमावली, 2010

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता नियमावली, 2010 कही जायेगी। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में, परिभाषाएं

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य जैव विविधता अधिनियम, 2002 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2003) से है;

(ख) "जैव विविधता प्रबंध समिति" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन किसी स्थानीय निकाय द्वारा स्थापित जैव विविधता प्रबंध समिति से है;

(ग) "बोर्ड" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन सरकारी अधिसूचना संख्या 1498/14-5-2006-57-2006, दिनांक 20 सितम्बर 2006 में स्थापित उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड से है;

- (घ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य बोर्ड के अध्यक्ष से है;
- (ड.) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र से है;
- (च) "गैर सरकारी सदस्य" का तात्पर्य पदेन सदस्य से भिन्न किसी सदस्य से है;
- (छ) "सचिव" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त बोर्ड के सचिव से है;
- (ज) "धारा" का तात्पर्य अधिनियम की किसी धारा से है।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए अधिनियम में कमशः समनुदेशित हैं।

बोर्ड का गठन

3—बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

- |  |              |
|--|--------------|
| (एक) प्रमुख सचिव, वन, उत्तर प्रदेश सरकार   | अध्यक्ष पदेन |
| (दो) प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार का नाम निर्देशिती          | सदस्य पदेन   |
| (तीन) प्रमुख सचिव/सचिव, उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार का नाम निर्देशिती           | सदस्य पदेन   |
| (चार) प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि विभाग/कृषि शिक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार का नाम निर्देशिती | सदस्य पदेन   |
| (पाँच) प्रमुख सचिव/सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार का नाम निर्देशिती         | सदस्य पदेन   |
| (छः) प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश   | सदस्य पदेन   |
| (सात) पाँच विशेष सदस्य   | सदस्य        |

बोर्ड के गैर सरकारी सदस्य

4—बोर्ड के सदस्य जैव विविधता के संरक्षण, जैव संसाधनों के पोषणीय उपयोग तथा जैव संसाधनों के उपयोग में ही उद्भूत लाभों के साम्यापूर्ण भागीदारी से सम्बन्धित विषयों के विशेषज्ञों में से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे।

बोर्ड के विशेष आमंत्रित

5—बोर्ड, यदि वह आवश्यक समझें, अपने कृत्यों के निष्पादन में बोर्ड की सहायता के लिए वित्त विभाग, मत्स्य विभाग के किसी अधिकारी या प्रतिष्ठित संस्थानों के किसी व्यक्ति, गैर सरकारी संगठन के किसी विशेषज्ञ या किसी व्यक्ति को विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकता है।

गैर सरकारी सदस्यों की पदावधि और भत्ते

6—(1) बोर्ड का प्रत्येक गैर सरकारी सदस्य अपनी नियुक्ति के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा।

(2) बोर्ड की बैठक में उपस्थित होने वाला प्रत्येक गैर-सरकारी सदस्य बैठक भत्ता, यात्रा व्यय, दैनिक भत्ता और ऐसे अन्य भत्ते पाने का हकदार होगा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किये जायें।

गैर सरकारी सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना

7—(1) बोर्ड का गैर सरकारी सदस्य राज्य सरकार को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर युक्त त्याग-पत्र द्वारा किसी भी समय अपना पद त्याग सकता है और बोर्ड में उस सदस्य का स्थान रिक्त हो जाएगा।

(2) बोर्ड में किसी गैर सरकारी सदस्य की आकस्मिक रिक्ति को नए सिरे से नामनिर्देशन द्वारा भरा जाएगा और रिक्ति को भरे जाने के लिए नामनिर्दिष्ट व्यक्ति उस सदस्य की, जिसके स्थान पर वह नामनिर्दिष्ट किया गया था, केवल शेष पदावधि तक पद धारण करेगा।



8-बोर्ड के किसी सदस्य को धारा 25 के साथ पठित धारा 11 में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर पद से तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक कि सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उस निमित्त सम्यक् और उचित जाँच नहीं कर ली जाती है और सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं प्रदान कर दिया जाता है।

बोर्ड के सदस्यों को हटाया जाना

9-बोर्ड का मुख्यालय लखनऊ में होगा।

बोर्ड का मुख्यालय

10-(1) राज्य सरकार अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक के स्तर के किसी अधिकारी को बोर्ड का सचिव नियुक्त करेगी।

बोर्ड का सचिव

(2) सचिव बोर्ड की बैठकों का समन्वय और बैठक बुलाने और बोर्ड के कर्मचारियों का अभिलेख रखने और ऐसे अन्य विषयों जो बोर्ड द्वारा सौंपे जायें, के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) सचिव बोर्ड के दिन प्रतिदिन के प्रशासन, निधि के प्रबन्धन और बोर्ड के अध्यक्ष के मार्गदर्शन के अधीन विभिन्न कार्यकलापों या कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) बोर्ड द्वारा पारित सभी आदेश और अनुदेश सचिव द्वारा हस्ताक्षरित होंगे।

(5) सचिव या तो स्वयं या उक्त प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी के माध्यम से बोर्ड द्वारा अनुमोदित वित्तीय शक्तियों की सीमा के भीतर सभी प्रकार के भुगतान को स्वीकृत और उनका संवितरण कर सकता है।

(6) सचिव बोर्ड के समस्त अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द की गोपनीय रिपोर्ट लिख कर रखेगा और उन्हें अध्यक्ष से प्रतिहस्ताक्षरित करायेगा।

(7) सचिव को बोर्ड द्वारा यथा प्रयायोजित प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय संस्वीकृतियों प्रदान करने की शक्ति हो।

(8) सचिव ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करेगा जो बोर्ड या अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर उसे सौंपे जायें।

11-(1) बोर्ड की बैठकें तीन मास की अवधि के पश्चात् एक वर्ष में कम से कम चार बार बोर्ड के मुख्यालय पर या ऐसे स्थान पर, जो अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाय, आयोजित की जायेंगी।

बोर्ड की बैठकें

(2) अध्यक्ष बोर्ड के कम से कम छः सदस्यों के लिखित अनुरोध पर अथवा राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के निदेश पर बोर्ड की विशेष बैठक आहूत कर सकता है।

(3) सदस्यों को कोई सामान्य बैठक आयोजित करने के लिए कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जायेगी और विशेष बैठक बुलाने के लिए उद्देश्य, समय व स्थान, जिस पर ऐसी बैठक आयोजित की जायेगी, विनिर्दिष्ट करते हुए कम से कम तीन दिन की सूचना दी जायेगी।

(4) प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से चुने गये किसी पीठासीन अधिकारी द्वारा की जायेगी।

(5) किसी बैठक में बोर्ड का विनिश्चय, यदि आवश्यक हो, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से किया जाएगा।

(6) प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा।

(7) बोर्ड की प्रत्येक बैठक में गणपूर्ति पाँच होगी।

(8) कोई सदस्य किसी बैठक में ऐसे किसी विषय पर, जिसके लिए उसे दस दिन की सूचना नहीं दी गई है, बैठक में विचार करने के लिए उसे अग्रसारित करने का हकदार नहीं होगा जब तक कि उसे ऐसा करने के लिए अध्यक्ष अनुज्ञा न दे।

(9) बैठक की सूचना सदस्यों को संवाहक द्वारा परिदत्त करके या इसे उसके अन्तिम निवास या कारबार के ज्ञात स्थान पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजकर या ऐसी रीति से जिसे मामले की परिस्थितियों में बोर्ड का सचिव ठीक समझे, दी जायेगी।

(10) इसके अतिरिक्त, बोर्ड अपने कारबार के संचालन में ऐसी अन्य प्रक्रिया अपना सकता है जिसे वह उचित और उपयुक्त समझे।

बोर्ड द्वारा विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति और उनकी हकदारी

12—(1) बोर्ड ऐसे प्रयोजनों के लिए, जिन्हें वह ठीक समझे, उतनी संख्या में समितियाँ गठित कर सकेगा जो पूर्णतः सदस्यों या पूर्णतः अन्य व्यक्तियों या अंशतः सदस्यों या अंशतः अन्य व्यक्तियों से मिलकर बनी हो।

(2) बोर्ड के सदस्यों से भिन्न समिति के सदस्यों को बैठक में उपस्थित होने के लिए ऐसी फीस और भत्तों का संदाय किया जाएगा जो बोर्ड ठीक समझे।

(3) बोर्ड किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को आमन्त्रित कर सकता है जिसकी सहायता व सलाह वह अपने कृत्यों के सम्पादन में प्राप्त करने और अपनी किन्हीं बैठकों में विचार-विमर्श में भाग लेने के लिए उपयोगी समझे। बोर्ड से सहयुक्त ऐसा व्यक्ति बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथाविहित भत्ते पाने का हकदार होगा।

बोर्ड के अन्य कृत्य 13—बोर्ड के अन्य कृत्य निम्नलिखित होंगे :-

- (एक) राज्य सरकार के विभागों को तकनीकी सहायता व मार्गदर्शन प्रदान करना;
- (दो) ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना जो इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हो;
- (तीन) उत्तर प्रदेश में जैव विविधता के संरक्षण से सम्बन्धित प्रकरणों की पहचान करना और जैव विविधता सम्बन्धी रणनीति और कार्य योजना तैयार करना;
- (चार) समुचित अन्तरालों पर उत्तर प्रदेश की जैव विविधता रिपोर्ट को प्रारिथिति का निर्माण करना और रणनीति एवं कार्य योजना तैयार करना;
- (पाँच) राज्य की जैव विविधता नीति की विरचना करना और जैव विविधता पार्क स्थापित करना;
- (छः) राजस्व उत्पादन के विभिन्न तरीके यथा सावधि जमा, विज्ञापन, प्रत्याभूति, दान और ऐसे अन्य तरीके आदि अपनाना;
- (सात) व्यक्ति या समूह या संस्था को राज्य में जैव विविधता संरक्षण में अभिनव परिवर्तन और उसमें योगदान के लिए पुरस्कृत करना;
- (आठ) अध्ययन आरम्भ करना, अन्वेषण और अनुसंधान प्रायोजित करना, विभिन्न क्षेत्रों पर सम्मेलन/परिसंवाद/कार्यशालायें/ बैठकें आयोजित करना;
- (नौ) बोर्ड को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए तीन वर्ष से अनधिक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विभिन्न क्षेत्रों में परामर्शदाताओं को लगाना, परन्तु यह कि यदि तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए किसी परामर्शदाता को लगाना आवश्यक और समीचीन हो तो बोर्ड का अनुमोदन आवश्यक होगा;
- (दस) जैव विविधता संरक्षण, उसके संघटकों के पोषणीय उपयोग और जैवीय संसाधनों और ज्ञान के उपयोग से उद्भूत फायदों के उचित और साम्यापूर्ण प्रभाजन से सम्बन्धित तकनीकी और सांख्यिकीय आंकड़ें और मैनुअल, संहिताएं संगृहीत, संकलित और प्रकाशित करना;
- (ग्यारह) जैव विविधता संरक्षण, उसके संघटकों के पोषणीय उपयोग और जैवीय संसाधनों और ज्ञान के उपयोग से उद्भूत फायदों के उचित और साम्यापूर्ण प्रभाजन से सम्बन्धित जन प्रचार (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेबसाइट, प्रिंट मीडिया, ब्राउचर्स, न्यूजलेटर्स, वृत्त चित्र या अभिनव पद्धति आदि) द्वारा वृहत् कार्यक्रम आयोजित करना;
- (बारह) अधिनियम के प्रयोजनों को पूर्ण करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं समस्त पणधारियों के आनलाइन प्रशिक्षण के लिए योजना बनाना और प्रशिक्षण का आयोजन करना;



- (तेरह) बोर्ड के प्रचालन की वार्षिक योजना, वार्षिक बजट, उसके रसीदों को समाविष्ट करते हुए, तैयार करना;
- (चौदह) समस्त कार्यकलापों के लिए प्रशासनिक तकनीकी और वित्तीय संस्वीकृति प्रदान करना और बोर्ड के अध्यक्ष या सचिव को ऐसी प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय संस्वीकृति प्रत्यायोजित करना जैसा वह उचित समझे;
- (पन्द्रह) बोर्ड के कृत्यों का प्रभावी रूप से निर्वहन करने के लिए राज्य सरकार से पदों के सृजन करने की सिफारिश करना और ऐसे पद सृजित करना;
- (सोलह) बोर्ड के कृत्यों के उचित एवं प्रभावी रूप से निष्पादन के लिए संविदा/प्रतिनियुक्ति पर व्यक्तियों को लगाना;
- (सत्रह) प्रभावी प्रबन्धन, संवर्धन और पोषणीय उपयोगों को सुनिश्चित करने के लिए जैव विविधता रजिस्टर और इलेक्ट्रानिक डाटा बेस के माध्यम से जैवीय संसाधनों और सहबद्ध पारम्परिक ज्ञान के लिए डाटा बेस बनाने और जानकारी तथा दस्तावेज पद्धति सृजित करने के लिए कदम उठाना;
- (अठारह) यह सुनिश्चित करना कि जैव विविधता और जैव विविधता पर निर्भर जीविका, योजना व प्रबन्धन के सभी खण्डों में और स्थानीय स्तर से योजना के सभी स्तरों पर जैव संसाधन के संरक्षण और पोषणीय प्रयोग हेतु प्रभावी योगदान करने के लिए संघटित किये जा रहे हैं;
- (उन्नीस) अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जैव विविधता समितियों को सुदृढ़ बनाना और मार्गदर्शन प्रदान करना;
- (बीस) राज्य सरकार को बोर्ड के कृत्यों और अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के बारे में रिपोर्ट देना;
- (इक्कीस) समय-समय पर जैव संसाधनों के सम्बन्ध में फीस के संग्रह और वितरण की सिफारिश करना, उसे विहित करना और उपान्तरित करना;
- (बाईस) अधिकारों के संरक्षण, जिसके अन्तर्गत बौद्धिक सम्पदा, जैव संसाधनों पर अधिकार और सहबद्ध जानकारी, जिसके अन्तर्गत जनता जैव विविधता पंजी में अभिलिखित सूचना के संरक्षण सहित यथाउपयुक्त सूचना की गोपनीयता बनाये रखने की पद्धति भी है, को सुनिश्चित करने का उपाय करना;
- (तेईस) विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए राज्य जैव विविधता बोर्ड और जैव विविधता प्रबन्ध समितियों के लिए अनुदान सहायता और अनुदान संस्वीकृत करना;
- (चौबीस) अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में किसी क्षेत्र का भौतिक निरीक्षण करना;
- (पच्चीस) किसी जैवीय संसाधन और किसी अवैध रीति से राज्य से अभिप्राप्त ज्ञान के सम्बन्ध में बौद्धिक सम्पदा अधिकार अनुदत्त किये जाने का विरोध करने के लिए विधि विशेषज्ञों की नियुक्ति सहित आवश्यक उपाय करना;
- (छब्बीस) चल और अचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति का अर्जन, धारण और निस्तारण करना और उसकी संविदा में प्रविष्टि करना;
- (सत्ताईस) विरासत स्थलों के प्रबन्ध और संरक्षण के लिए उपाय प्रदान करना;
- (अट्ठाईस) अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना द्वारा आर्थिक रूप से प्रभावित किसी वर्ग के लोगों को क्षतिपूर्ति प्रदान करना और उनका पुनर्वास करना;
- (उनतीस) जैवीय संसाधनों का संरक्षण और संवर्धन करना;

(तीस) ऐसे क्षेत्रों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना जहाँ से ऐसे जैवीय संसाधन या सहबद्ध ज्ञान अभिप्राप्त किये गये हैं;

(इकतीस) ऐसे अन्य कृत्य करना जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा सौंपे या समय-समय पर बोर्ड द्वारा विनिश्चित किये जायें।

अध्यक्ष की  
शक्तियाँ और  
कर्तव्य

#### 14-अध्यक्ष

- (एक) यह सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड के कार्यकलाप अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार दक्षतापूर्वक किये जा रहे हैं;
- (दो) को बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द के ऊपर साधारण अधीक्षण की शक्ति होगी और वह बोर्ड के कार्यों के संचालन और प्रबन्ध के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर सकेगा;
- (तीन) बोर्ड की सभी बैठकें आयोजित करेगा और उनकी अध्यक्षता करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड द्वारा किये गये सभी विनिश्चय समुचित रीति से कार्यान्वित किये जा रहे हैं;
- (चार) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करेगा जो समय-समय पर बोर्ड द्वारा उसे सौंपे या प्रत्यायोजित किये जायें।

जैवीय संसाधनों  
और सहबद्ध  
पारंपरिक ज्ञान  
के प्रति पहुँच के  
लिए प्रक्रिया

- 15--(1) अनुरोधान या वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैवीय संसाधनों और सहबद्ध ज्ञान के प्रति पहुँच रखने के लिए बोर्ड का अनुमोदन चाहने वाला कोई व्यक्ति इस नियमावली में संलग्न प्ररूप 1 में आवेदन करेगा।
- (2) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ बोर्ड द्वारा समय-समय पर परिवर्तन के अधीन रहते हुए दो हजार पाँच सौ रूपये का माँगपत्र संलग्न होगा।
- (3) बोर्ड आवेदन पत्र का सम्यक् मूल्यनिरूपण करने और ऐसी कोई अतिरिक्त जानकारी संगृहीत करने के पश्चात्, जो आवश्यक समझी जाय, आवेदन का यथाशक्य शीघ्र उसकी प्राप्ति से तीन मास की अवधि के भीतर निपटारा करेगा।
- (4) बोर्ड आवेदन के गुणागुण का समाधान करने के पश्चात् जैवीय संसाधनों और सहबद्ध ज्ञान के प्रति पहुँच का अनुमोदन, ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह अधिरोपित करने के लिए ठीक समझे, अनुदत्त कर सकता है।
- (5) पहुँच के सम्बन्ध में, अनुमोदन बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारी और आवेदक द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित लिखित करार के रूप में होगा।
- (6) पहुँच के लिए शर्तें विनिर्दिष्ट रूप से उन जैवीय संसाधनों, जिनके लिए पहुँच अनुदत्त की जा रही है, के परीक्षण और संरक्षण के लिए उपायों का विनिर्दिष्ट रूप से उपबन्ध कर सकती है।
- (7) बोर्ड लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से किसी आवेदन को नामंजूर कर सकेगा यदि वह यह समझता है कि अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता।
- (8) कोई आवेदन तब तक नामंजूर नहीं किया जायेगा जब तक कि आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो।
- (9) बोर्ड अनुदत्त अनुमोदनों को मुद्रण या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार करने के लिए कदम उठाएगा और आवधिक रूप से उन शर्तों का, जिन पर अनुमोदन मंजूर किया गया था, अनुपालन का अनुश्रवण करेगा।



16--(1) बोर्ड निम्नलिखित शर्तों के अधीन किसी शिकायत के आधार पर या स्वप्रेरणा से स्वीकृत की गयी पहुँच को वापस ले सकता है या लिखित करार का प्रतिसंहरण कर सकता है; अर्थात् :-

पहुँच या अनुमोदन का प्रतिसंहरण

- (क) युक्तियुक्त विश्वास के आधार पर कि उस व्यक्ति ने जिसे अनुमोदन अनुदत्त किया गया था अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों या शर्त जिस पर अनुमोदन अनुदत्त किया गया था, का उल्लंघन किया है;
- (ख) वह व्यक्ति जिसे अनुमोदन अनुदत्त किया गया है, करार के निबन्धनों का अनुपालन करने में असफल रहा है;
- (ग) अनुदत्त पहुँचों की शर्तों में से किसी का अनुपालन करने में असफल रहने पर;
- (घ) लोक हित या पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता परिरक्षण का अतिलंघन करने पर;

(2) बोर्ड पहुँच को प्रतिषिद्ध करने और नुकसान, यदि कोई हो, का निर्धारण करने के लिए और नुकसान को पूरा करने के लिए उठाये गये कदमों के सम्बन्ध में उपनियम (1) के अधीन उसके द्वारा जारी किये गये प्रतिसंहरण के प्रत्येक आदेश की एक प्रति सम्बन्धित बोर्ड और जैव विविधता प्रबन्ध समितियों को भेजेगा।

17--बोर्ड यदि आवश्यक और उपयुक्त समझे तो जैव संसाधनों के प्रति पहुँच के अनुरोध का निर्बन्धित या प्रतिषिद्ध करने के लिए निम्नलिखित कारणों से कदम उठाएगा, अर्थात् :-

जैव संसाधनों के प्रति पहुँच से सम्बन्धित क्रियाकलापों पर निर्बन्धन

- (क) पहुँच के लिए अनुरोध किसी संकटापन्न टैक्सा के संबंध में भी है;
- (ख) पहुँच के लिए अनुरोध किसी स्थानिक और विरल जातियों के सम्बन्ध में भी है;
- (ग) पहुँच के लिए अनुरोध से स्थानीय व्यक्तियों की जीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है;
- (घ) पहुँच के लिए अनुरोध से पर्यावरण संबंधी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है जिससे नियंत्रण और उसका उपशमन किया जाना कठिन हो सकता है;
- (ङ) पहुँच के लिए अनुरोध से आनुवंशिक क्षरण हो सकता है या प्रास्थितिक कृत्य प्रभावित हो सकते हैं;
- (च) ऐसे प्रयोजनों के लिए स्रोतों का उपयोग जो राष्ट्र/राज्य के हित के और भारत द्वारा किये गये अन्य सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य सम्बन्धी करारों और उत्तर प्रदेश राज्य के हित के प्रतिकूल हैं।

18--(1) राज्य जैव विविधता निधि का प्रचालन सचिव द्वारा किया जायेगा।

राज्य जैव विविधता निधि का प्रचालन

(2) राज्य जैव विविधता निधि में तीन पृथक लेखा शीर्षक होंगे,—

- एक राज्य सरकार से प्राप्तियों (अनुदान तथा ऋण) के सम्बन्ध में,
- दूसरा लेखा शीर्षक राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण/केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान तथा ऋणों का होगा,
- अन्य फीस, रजिस्ट्रीकरण फीस, दान, प्रायोजन, विज्ञप्ति, टैरिफ, रायल्टी तथा बोर्ड की अन्य प्राप्तियों से सम्बन्धित होगा।

(3) राज्य सरकार विधि द्वारा इस निमित्त राज्य विधान मण्डल द्वारा सम्यक् विनियोग करने के पश्चात् बोर्ड को ऐसी राशि संदत्त करेगी जैसी राज्य सरकार अधिनियम के प्रयोजन के लिए उपयोग किये जाने के लिए उचित समझे।

(4) निधि का उपयोग नियम 13 में उल्लिखित बोर्ड के सामान्य कृत्यों के सम्पादन के लिए किया जाएगा।

वार्षिक रिपोर्ट  
तथा लेखों का  
वार्षिक विवरण

19—(1) बोर्ड प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपने क्रियाकलापों का विस्तृत विवरण तथा लेखों का वार्षिक विवरण देते हुए अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(2) बोर्ड लेखों को रखने की प्रक्रिया अधिकथित करेगा। बोर्ड के लेखों का वार्षिक लेखा बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का महालेखाकार बोर्ड के लेखा की संपरीक्षा कर सकेगा।

(3) बोर्ड प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के सितम्बर मास तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट तथा संपरीक्षित लेखा विवरण राज्य सरकार को इस प्रकार प्रस्तुत करेगा जिससे कि राज्य सरकार उसे विधानसभा के समक्ष रखने में समर्थ हो सके।

जैव विविधता  
विरासत स्थल की  
स्थापना तथा  
प्रबन्धन  
जैव विविधता  
प्रबन्ध समितियों  
का गठन

20—बोर्ड सम्बन्धित स्थानीय निकायों तथा अन्य प्रमुख भागीदारों के परामर्श से महत्वपूर्ण जैव विविधता मूल्यों वाले क्षेत्रों की विरासत स्थलों के रूप में स्थापना को सुकर बनाने हेतु आवश्यक कदम उठाएगा।

21—(1) धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन स्थानीय निकाय में गठित जैव विविधता प्रबन्ध समिति एक अध्यक्ष सहित स्थानीय निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट छः से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी जिनमें एक तिहाई से अन्धून् महिलाएं और 18 प्रतिशत से अन्धून् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के होने चाहिए।

(2) जैवविविधता प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष स्थानीय निकाय के अध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता की जाने वाली किसी बैठक में समिति के सदस्यों में से निर्वाचित किया जाएगा। मतों के बराबर-बराबर होने की स्थिति में स्थानीय निकाय के अध्यक्ष को निर्णायक मत का अधिकार होगा।

(3) जैव विविधता समिति की कालावधि तीन वर्ष होगी।

(4) विधान सभा/ विधान परिषद के स्थानीय सदस्य और संसद सदस्य समिति की बैठकों में विशेष आमंत्रित होंगे।

(5) जैव विविधता समिति के मुख्य कृत्य स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से जनता जैव विविधता रजिस्टर तैयार करना है। रजिस्टर में स्थानीय जैव संसाधनों, उनके चिकित्सीय या अन्य उपयोग या उनसे सहबद्ध कोई अन्य पारम्परिक ज्ञान की उपलब्धता और ज्ञान के सम्बन्ध में व्यापक जानकारी अन्तर्विष्ट होगी।

(6) जैव विविधता प्रबन्ध समिति के अन्य कृत्य राज्य जैव विविधता बोर्ड या स्थानीय वैद्यों और व्यवसायियों को, जो जैव संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, इस सम्बन्ध में आंकड़े रखने के बारे में अनुमोदन अनुदत्त करने के लिए राज्य जैव विविधता बोर्ड या बोर्ड द्वारा उसे निर्दिष्ट किये गये विषयों में से किसी के सम्बन्ध में सलाह देना होगा।

(7) बोर्ड जनता जैव विविधता रजिस्टर और उसकी विशिष्टियां और इलेक्ट्रानिक डाटा बेस के लिए प्ररूप विनिर्दिष्ट करने के लिए कदम उठाएगा।

(8) बोर्ड जैव विविधता प्रबन्ध समितियों को जनता जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने के लिए मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा।

(9) जैव विविधता प्रबन्ध समितियों द्वारा जनता जैव विविधता रजिस्टर रखे जाएंगे और विधिमान्य किए जाएंगे।

(10) समिति जैव संसाधनों और पारम्परिक ज्ञान के प्रति पहुँच, अधिरोपित फीस के संग्रहण के ब्योरे और अभिप्राप्त फायदों तथा उनके प्रभाजन की रीति के व्योरो के सम्बन्ध में जानकारी देने वाले रजिस्टर भी रखेगी।

(11) वन क्षेत्र की स्थिति में, तत्समय प्रवृत्त अधिनियमों/नियमों/माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश द्वारा यथा अवधारित वन प्रबन्ध समितियाँ/ पारिस्थितिकी विकास समितियाँ होंगी।



22-(1) बोर्ड धारा 43 के अधीन गठित स्थानीय जैव विविधता निधि में जमा करने के लिए स्थानीय निकाय को अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या प्राधिकरण से उसके द्वारा प्राप्त किया गया ऋण या अनुदान उपलब्ध करायेगा। स्थानीय निकाय ऐसी निधियों तक उसके द्वारा पहचाने गए या बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए अन्य स्रोतों से भी पहुंच सकेगा।

स्थानीय जैव विविधता निधि का प्रबंधन, अभिरक्षा और उपयोग के प्रयोजन

(2) स्थानीय जैवविविधता निधि का परिचालन जैवविविधता प्रबंधन समिति द्वारा किया जाएगा। बोर्ड, जैव विविधता प्रबंधन समिति द्वारा निधि के प्रचालन के लिए ऐसी रीति सम्मिलित करते हुए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित करेगी जिसमें इसके कृत्य संबंधित स्थानीय निकायों के समस्त सदस्यों के लिये पारदर्शक तथा उत्तरदायी हों।

(3) निधि का उपयोग संबंधित स्थानीय निकाय की अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्रों में जैवविविधता के संरक्षण और संवर्धन के लिए तथा स्थानीय समुदाय के लाभ के लिए, जहां तक ऐसा उपयोग जैवविविधता के संरक्षण से संगत है, किया जाएगा।

(4) स्थानीय जैवविविधता निधि का लेखा ऐसे प्ररूपों में जैसे बोर्ड द्वारा अवधारित किए जाएं, तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे समयों पर, जैसा कि अवधारित किया जाए तैयार किया जाएगा।

(5) जैवविविधता प्रबंधन समितियां पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का संपूर्ण विवरण देते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी तथा उसकी एक प्रति बोर्ड को और एक प्रति सामान्य सभा को प्रस्तुत करेगी।

(6) स्थानीय जैव विविधता निधि के लेखे ऐसे तरीके से संधारित तथा संपरीक्षित किए जाएंगे जैसा कि बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाय।

#### प्ररूप-1

(नियम 15 देखिए)

जैव विविधता संसाधनों तक पहुंच के लिए राज्य जैव विविधता बोर्ड के समक्ष आवेदन प्ररूप  
( जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 7 और 24\* देखिए )

#### भाग-क

#### 1- आवेदक की पूर्ण विशिष्टियां -

- 1.1 आवेदक का नाम
- 1.2 स्थायी पता :
- 1.3 भारत में संपर्क व्यक्ति/अभिकर्ता, यदि कोई हो, का पता :
- 1.4 संगठन का विवरण (विभाग कोई व्यक्ति हैं तो उस दशा में व्यक्तिगत विवरण)।  
कृपया - अधिप्रमाणन के सुसंगत दस्तावेज संलग्न करें:
- 1.5 कारबार की प्रकृति:
- 1.6 संगठन/आवेदक का भारतीय रूपये में व्यावृत्त:

#### 2- चाही गई पहुंच की प्रकृति और जैव सामग्री तथा पहुंच किए जाने वाले सहबद्ध ज्ञान के बारे में ब्यौरे और विनिर्दिष्ट जानकारी।

- (क) पहचान (वैज्ञानिक नाम) जैव संसाधनों और पारंपरिक उपयोग की पहचान:
- (ख) प्रस्तावित संग्रहण की भौगोलीय अवस्थिति:
- (ग) पारंपरिक ज्ञान का वर्णन प्रकृति:
- (घ) पारंपरिक ज्ञान धारित करने वाला कोई पहचाना गया व्यक्ति/समुदाय:
- (ङ) संगृहीत किए जाने वाले जैव संसाधनों की मात्रा (अनुसूची दें):
- (च) समयवधि जिसमें जैव संसाधनों के संगृहीत किए जाने का प्रस्ताव है:

- (छ) चयन करने के लिए कंपनी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और संख्या:
- (ज) वह प्रयोजन जिसके लिए पहुंच का अनुरोध किया गया है जिसके अंतर्गत अनुसंधान की प्रक्रिया और विस्तार, व्युत्पन्न होने वाले वाणिज्यिक उपयोग और उससे व्युत्पन्न किए जाने की संभावना भी है:
- (झ) क्या संसाधनों के संग्रहण से जैव विविधता के किसी घटक को संकट उत्पन्न हुआ है और वह जोखिम जो पहुंच से उत्पन्न हो सकेगा:
- 3- पहुंच प्राप्त जैव संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के उपयोग के भारत/समुदायों को प्रवहित होंगे, उन फायदों का प्राक्कलन।
- 4- फायदे प्रभाजन के लिए प्रस्तावित तंत्र और व्यवस्थाएं।
- 5- कोई अन्य जानकारी जो सुसंगत समझी जाएं।

## भाग-ख

## घोषणा

मैं/हम घोषणा करते हैं कि

- प्रस्तावित जैव संसाधनों के संग्रहण से संसाधनों की पोषणीयता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा;
- प्रस्तावित जैव संसाधनों के संग्रहण से कोई पर्यावरणीय प्रभाव नहीं पड़ेगा;
- प्रस्तावित जैव संसाधनों के संग्रहण से पारिस्थितिकी प्रणाली को कोई जोखिम नहीं होगा;
- प्रस्तावित जैव संसाधनों के संग्रहण से स्थानीय समुदायों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि आवेदन में उपलब्ध कराई गई जानकारी सत्य और सही है और मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि किसी असत्य/गलत जानकारी के लिए दायी हूँगा/होंगे।

हस्ताक्षर  
आवेदक/संगठन का नाम  
और मुहर

स्थान  
तारीख

## \*जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 24 देखिए

कतिपय  
क्रियाकलापों  
निर्बंधित करने की  
राज्य जैव  
विविधता बोर्ड की  
शक्ति।

24-(1) भारत का कोई नागरिक या निगमित निकाय, संगठन या भारत में रजिस्ट्रीकृत संगम, जो धारा 7 में निर्दिष्ट किसी कार्यकलाप को करना चाहता है, राज्य जैव विविधता बोर्ड को इसकी पूर्व सूचना ऐसे प्ररूप में देगा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी संसूचना की प्राप्ति पर राज्य जैव विविधता बोर्ड संबंधित निगमित निकाय से परामर्श करके और ऐसे जांच करने के पश्चात, जो वह ठीक समझे, आदेश द्वारा ऐसे किसी क्रियाकलाप को प्रतिषेध या निबन्धित कर सकेगा यदि उसकी राय में ऐसा क्रियाकलाप, संरक्षण और जैव विविधता के पोषणीय उपयोग या ऐसे क्रियाकलाप में से उद्भूत फायदों के साम्यापूर्ण हिस्सा बंटाने के प्रतिकूल या विरुद्ध हो:

परंतु यह कि ऐसा कोई हिस्सा आदेश प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा।

(3) पूर्व इत्तिला के लिए उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्ररूप में दी गई कोई सूचना गुप्त रखी जाएगी और किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका उससे कोई संबंध नहीं, साशय या बिना आशय के प्रकट नहीं की जाएगी।

आज्ञा से,  
चंचल कुमार तिवारी,  
प्रमुख सचिव।



In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 570/XIV-5-2010-57/2006, dated April 09, 2010.

No. 570/XIV-5-2010-57/2006

Dated Lucknow, April 9, 2010

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 63 of the Biological Diversity Act, 2002 (Act no. 18 of 2003), the Governor is pleased to make the following rules, namely:-

THE UTTAR PRADESH STATE BIOLOGICAL DIVERSITY RULES, 2010

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh State Biological Diversity Rules, 2010.

Short title and commencement

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

Definitions

(a) "Act" means the Biological Diversity Act, 2002 ( Act no. 18 of 2003);

(b) "Biodiversity Management Committee" means a Biodiversity Management Committee established by a local body under sub-section (1) of section 41 of the Act;

(c) "Board" means the Uttar Pradesh State Biodiversity Board established in Government notification no. 1498/14-5-2006-57/2006 dated September 20, 2006 under sub-section (1) of section 22 of the Act;

(d) "Chairperson" means the Chairperson of the Board;

(e) "Form" means the Form appended to these rules;

(f) "Non-official members" means members other than *ex-officio* member;

(g) "Secretary" means the Secretary of the Board appointed by the State Government;

(h) "Section" means a section of the Act;

(2) Words and expressions used but not defined in these rules and defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. The Board shall consist of the following members:

Constitution of the Board

- |   |                        |
|---|------------------------|
| (i) Principal Secretary, Forests, Government of Uttar Pradesh   | Chairperson ex-officio |
| (ii) Nominee of Principal Secretary/Secretary, Environment Department, Government of Uttar Pradesh                        | Member ex-officio      |
| (iii) Nominee of Principal Secretary/Secretary, Horticulture Department, Government of Uttar Pradesh                      | Member ex-officio      |
| (iv) Nominee of Principal Secretary/ Secretary, Agriculture Department/Agriculture Education, Government of Uttar Pradesh | Member ex-officio      |
| (v) Nominee of Principal Secretary/Secretary, Animal Husbandry Department, Government of Uttar Pradesh                    | Member ex-officio      |
| (vi) Principal Chief Conservator of Forests, Uttar Pradesh  | Member ex-officio      |
| (vii) Five Specialist members   | Member                 |

Non-official  
Members of the  
Board.

4. Non-official Members of the Board shall be nominated by the State Government from amongst experts in the matters relating to conservation of biological diversity, sustainable use of biological resources and equitable sharing of benefits arising out of the use of biological resources.

Special Invitees of  
the Board:

5. The Board may if it considers necessary invite an officer of the Finance Department, Fisheries Department or any person of eminent institute, any expert, or any person of Non Government Organisation as Special invitees to assist the Board in the performance of its functions.

Term of Office  
and Allowances of  
non-official  
Members:

6. (1) Every non-official member of the Board shall hold office for a term of three years from the date of publication of his appointment in the *Gazette*.

(2) Every non-official member attending the meeting of the Board shall be entitled to sitting allowance, travelling expenses, daily allowance and such other allowances as may be determined from time to time by the State Government.

Filling up of  
vacancies of non-  
official members:

7. (1) A non-official member of the Board may resign his office at any time by giving in writing under his hand addressed to the State Government and the seat of that member in the Board shall become vacant.

(2) A casual vacancy of a non-official member in the Board shall be filled up by a fresh nomination and the person nominated to fill the vacancy shall hold office only for the remainder of the term of the member in whose place he was nominated.

Removal of the  
members of the  
Board:

8. No member of the Board shall be removed from the office on any grounds specified in section 11 read with section 25 unless a due and proper enquiry is not made by the Secretary, Government of Uttar Pradesh Department of Forests for the purpose and without giving a reasonable opportunity of being heard.

Headquarters of  
the Board

9. The Headquarters of the Board will be at Lucknow.

Secretary of the  
Board:

10. (1) The State Government shall appoint an officer of the rank of Additional Principal Chief Conservator of Forest / Chief Conservator of Forest / Conservator of Forest, Uttar Pradesh as Secretary of the Board.

(2) The Secretary shall be responsible for coordinating and convening the meetings of the Board, maintenance of the records of the proceedings of the Board and such other matters as may be assigned to him by the Board.

(3) The Secretary shall be responsible for day to day administration of the Board, management of funds and implementation of various activities or the programme under the guidance of the Chairperson of the Board.

(4) All orders or instructions to be issued by the Board shall be under the signature of the Secretary.

(5) The Secretary either himself or through an officer authorized for the purpose may sanction and disburse all payments within the limit of financial powers approved by the Board.

(6) The Secretary shall write and maintain confidential reports of all the officers and staff of the Board and shall get them countersigned by the Chairperson.

(7) The Secretary shall have powers for granting administrative, technical and financial sanctions as delegated by the Board.

(8) The Secretary shall exercise such other powers and perform such other functions as may be assigned to him from time to time by the Board or by the Chairperson.



11. (1) The Board shall meet at least four times in a year normally after a period of three months at the Headquarter of the Board or at such place as may be decided by the Chairperson.

Meetings of the Board:

(2) The Chairperson shall, upon a written request from not less than six Members of the Board or upon a direction of the State Government or the Central Government, call a special meeting of the Board.

(3) The members shall be given at least fifteen days' notice for holding an ordinary meeting and at least three days' notice for holding a special meeting specifying the purpose, the time and the place at which such meeting is to be held.

(4) Every meeting shall be presided over by the Chairperson and in his absence, by a presiding officer to be elected by the members present from amongst themselves.

(5) The decision of the Board at a meeting shall, if necessary, be taken by a simple majority of the Members present and voting.

(6) Each member shall have one vote.

(7) The quorum at every meeting of the Board shall be five.

(8) No Member shall be entitled to bring forward for the consideration of a meeting any matter of which he has not given ten days' notice unless the Chairperson may permits him to do so.

(9) Notice of the meeting may be given to the Members by delivering the same by messenger or sending it by registered post to his last known place of residence or business or in such other manner as the Secretary of the Board may, in the circumstances of the case, think fit.

(10) In addition the Board may evolve such other procedures for the transaction of its business as it may deem fit and proper.

12. (1) The Board may constitute any number of Committees for such purposes as it may deem fit consisting wholly of members or wholly of other persons or partly of members or partly of other persons.

Appointment of expert Committee by the board and their entitlements.

(2) The members of the Committee other than the members of the Board shall be paid such fees and allowances for attending the meetings as the Board may deem fit.

(3) The Board may invite any person whose assistance or advice is considered useful to obtain in performing any of its functions and to participate in the deliberations of any of its meetings. Such person associated with the Board shall be entitled to get allowances, as prescribed by the Board from time to time.

13. The other functions of the Board shall be,-

Other functions of the Board:

- (i) to provide technical assistance and guidance to the Departments of State Government;
- (ii) to perform such other functions as may be necessary to carry out the provisions of the Act;
- (iii) to identify the issues in Biodiversity conservation in Uttar Pradesh and to evolve Biodiversity strategy and Action Plan;
- (iv) to release of status of Biodiversity Report of Uttar Pradesh at suitable intervals and to evolve strategy and Action Plan;
- (v) to frame Biodiversity Policy of the State and establishment of Biodiversity Park;
- (vi) to adopt the different methods or activities for revenue generation such as fixed deposit, advertisement, sponsor, donations and such other methods etc.;
- (vii) to award individual, or as a group or as institution for innovation and contribution to the Biodiversity conservation of the State;

- (viii) commission studies, sponsor investigations and research, organize conferences / seminars / workshops / meetings on different fields;
- (ix) to engage consultant in different fields for a specific period not exceeding three years, for providing technical assistance to the Board in the effective discharge of its functions provided that if it is necessary and expedient to engage any consultant beyond the period of three years, the approval of the Board shall be necessary;
- (x) to collect, compile and publish technical and statistical data, manuals, codes relating to conservation of biodiversity, sustainable use of its components and fair and equitable sharing of benefits arising out of the use of biological resources and knowledge;
- (xi) to organize through mass media (electronic media, website, print media brochures, newsletters, documentary films or innovative methods etc.) a comprehensive programme regarding conservation of biodiversity, sustainable use of its components and fair and equitable sharing of benefits arising out of the use of biological resources and knowledge;
- (xii) to plan and organize local, Regional, National and International training as well as online training of all the stake holders for fulfilling the objectives of the Act;
- (xiii) to prepare the annual plan of operation, annual budget of the Board incorporating its own receipts;
- (xiv) to grant administrative, technical and financial sanctions to all the activities; and to delegate such administrative, technical and financial sanctions to the Chairperson or the Secretary of the Board as it may deem necessary;
- (xv) to recommend creation of posts to the State Government, for effective discharge of the functions by the Board and to create such posts;
- (xvi) to engage the persons on contract/deputation for the proper and effective functioning of the Board;
- (xvii) to take steps to build up data base and to create information and documentation system for biological resources and associated traditional knowledge through biodiversity registers and electronic data bases, to ensure effective management, promotion and sustainable uses;
- (xviii) to ensure that biodiversity and biodiversity-dependent livelihoods are integrated into all sectors of planning and management, and at all levels of planning from local to contribute effectively for conservation and sustainable use of bio-resources;
- (xix) to reinforce and guide the Biodiversity Management Committees for effective implementation of the Act;
- (xx) to report to the State Government about the functioning of the Board and carrying out the provisions of the Act;
- (xxi) to recommend, prescribe, modify, collection or distribution of fee in respect of biological resources from time to time;
- (xxii) to devise methods to ensure protection of rights including intellectual property rights over biological resources and associated knowledge including systems of maintaining confidentiality of such information as appropriate, including the protection of the information recorded in People's Biodiversity Registers;
- (xxiii) to sanction grants-in-aid and grants to Biodiversity Management Committees for specific purposes;



- (xxiv) to undertake physical inspection of any area in connection with the carrying out the provisions of the Act;
- (xxv) to take necessary measures including appointment of legal experts to oppose grant of intellectual property right on any biological resource and associated knowledge obtained from the State in an illegal manner;
- (xxvi) to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable and enter into contract for the same;
- (xxvii) to provide the ways to manage and conserve heritage sites;
- (xxviii) to compensate or rehabilitate any section of the people economically affected by notification under sub section (1) of section 37 of the Act;
- (xxix) to conserve and promote biological resources;
- (xxx) to make socio economic development of areas from where such biological resources or knowledge associated has been accessed;
- (xxxi) to do such other functions as may be assigned to it or directed by the State Government from time to time or as decided by the Board from time to time.

The Chairperson shall-

- 14. (i) ensure that the affairs of the Board are run efficiently and in accordance with the provisions of the Act and the rules made there under; Power and duties of Chairperson
  - (ii) have the powers of general superintendence over the officers and staff of the Board and may issue necessary directions for the conduct and management of affairs of the Board;
  - (iii) convene and preside over all the meetings of the Board and shall ensure that all decisions taken by the Board are implemented in proper manner;
  - (iv) exercise such other powers and perform such other functions as may be assigned or delegated to him from time to time by the Board.
- 15. (1) Any person seeking approval of the Board for access to biological resources and associated knowledge for research or for commercial utilization shall make an application in Form -1 appended to these rules. Procedure for access to biological resources and associated traditional knowledge
  - (2) Every application under sub-rule (1) shall be accompanied by a demand draft of two thousand five hundred rupees subject to change from time to time by the Board
  - (3) The Board shall after due appraisal of the application and collecting such additional information from the applicant and other sources, as it may deem necessary, dispose of the application, as far as possible, within a period of three months from the date of its receipts.
  - (4) On being satisfied with the merit of the application, the Board may grant the approval for access to biological resources and associated knowledge subject to such terms and conditions as it may deem fit to impose.
  - (5) The approval to access shall be in the form of a written agreement duly signed by an authorized officer of the Board and the applicant.
  - (6) The conditions for access may specifically provide measures for conservation and protection of biological resources to which the access is being granted.
  - (7) The Board may for reasons to be recorded in writing reject an application if it considers that the request cannot be acceded to.
  - (8) No application shall be rejected unless the applicant is given a reasonable opportunity of being heard.
  - (9) The Board shall take steps to widely publicize the approvals granted through print or electronic media and shall periodically monitor compliance of conditions on which the approval was accorded.

Revocation of  
access or approval:

16. (1) The Board may either on the basis of any complaint or *suo-moto* withdraw the approval granted for access and revoke the written agreement under the following conditions, namely: -

(a) on the basis of reasonable belief that the person to whom the approval was granted has violated any of the provisions of the Act or the condition on which the approval was granted;

(b) when the person who has been granted approval has failed to comply with the terms of the agreement;

(c) on failure to comply with any of the conditions of access granted;

(d) on account of overriding public interest or for protection of environment and conservation of biological diversity;

(2) The Board shall send a copy of every order of revocation issued by it under sub-rule (1) to the concerned Board and the Biodiversity Management Committees for prohibiting the access and also to assess the damage, if any, caused and take steps to recover the damage.

Restriction on  
activities related to  
access to biological  
resources:

17. The Board if it deems necessary and appropriate shall take the steps to restrict or prohibit the request for access to biological resources for the following reasons, namely: -

(a) the request for access is for any endangered taxa;

(b) the request for access is for any endemic and rare species;

(c) the request for access may likely to result in adverse effect on the livelihoods of the local people;

(d) the request to access may result in adverse environmental impact which may be difficult to control and mitigate;

(e) the request for access may cause genetic erosion or affecting the ecosystem function;

(f) use of resources for purposes contrary to National/ State interest and other related International/National/ State agreements entered into by India and there to the State of Uttar Pradesh.

Operation of State  
Biodiversity Fund:

18. (1) The State Biodiversity Fund shall be operated by the Secretary.

(2) The State Biodiversity Fund shall have three separate heads of accounts,

- one relating to the receipts (grants and loans) from the State Government,
- other head of the accounts shall be grants and loans received from the National Biodiversity Authority/Central Government,
- other concerning the fee, licence fee, registration fee, donations, sponsorships, advertisement, tariffs, royalty and other receipts of the Board.

(3) The State Government, shall after due appropriation made by the State Legislature by the law in this behalf, pay to the Board such sum of money as the State Government may think fit for being utilized for the purpose of the Act.

(4) The fund will be utilized to accomplish the general functions of the Board as mentioned in rule 13.

Annual Report and  
Annual Statement  
of Accounts:

19. (1) The Board shall prepare its annual report for each financial year giving detailed account of its activities and annual statement of accounts and submit the same to the State Government.

(2) The Board shall lay down the procedure for upkeep of the accounts. The accounts of the Board shall be audited annually by the Chartered Accountant appointed for the purpose by the Board. The Accountant General Uttar Pradesh may as well audit the accounts of the Board.



(3) The Board shall submit the Annual Report together with the audited statement of accounts for each financial year to the State Government by September each calendar year so as to enable the State Government to lay the reports before the Legislative Assembly.

20. The Board shall, in consultation with the concerned local bodies and other key stakeholders, take necessary steps to facilitate setting up of areas of significant biodiversity values as Heritage Sites.

21. (1) The Biodiversity Management Committee constituted in a local body under sub-section (1) of section 41 shall consist of not more than six members including a chairperson nominated by such local body, of whom not less than one third should be women and not less than 18% should belong to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes.

(2) The Chairperson of a Biodiversity Management Committee shall be elected from amongst the members of the Committee in a meeting to be chaired by the Chairperson of the local body. The Chairperson of the local body shall have the casting votes in case of a tie.

(3) The Biodiversity Management Committee shall have tenure of three years.

(4) The local Member of Legislative Assembly/ Member of Legislative Council and Member of Parliament would be special invitees to the meetings of the Committee.

(5) The main function of the Biodiversity Management Committee shall be to prepare People's Biodiversity Register in consultation with local people. The Register shall contain comprehensive information on availability and knowledge of local biological resources, their medicinal or any other use or any other traditional knowledge associated with them.

(6) The other functions of the Biodiversity Management Committee shall be to advise on any matter referred to it by the State Biodiversity Board or Authority for granting approval, to maintain data about the local Vaid and practitioners using the biological resources.

(7) The Board shall take steps to specify the form of the People's Biodiversity Registers, and the particulars it shall contain and the format for electronic database.

(8) The Board shall provide guidance and technical support to the Biodiversity Management Committees for preparing People's Biodiversity Registers.

(9) The People's Biodiversity Registers shall be maintained and validated by the Biodiversity Management Committees.

(10) The Committee shall also maintain a Register giving information about the details of the access to biological resources and traditional knowledge granted, details of the collection fee imposed and details of the benefits derived and the mode of their sharing.

(11) In case of forest areas there may be Joint Forest Management Committees/Eco-development Committees, as determined by the Principal Chief Conservator of Forests, Uttar Pradesh in accordance with Acts/Rules/Directions of Hon'ble Supreme Court for the time being in force.

22. (1) The Board shall provide to the local body for crediting to the Local Biodiversity Fund constituted under section 43, any loan or grant received by it from the State Government, Central Government or from the Authority for the purpose of the Act. The local body can also access funds from other sources as it identifies, or as specified by the Board.

(2) The local biodiversity fund shall be operated by the Biodiversity Management Committees. The Board shall lay down the operational guidelines for operation of the fund by the Biodiversity Management Committees, including ways, in which its functioning is transparent and accountable to all members of the relevant local body.

Establishment and Management of Biodiversity Heritage Site:  
Constitution of Biodiversity Management Committees:

The management custody and the purposes of the application of Local Biodiversity Fund:

(3) The fund shall be utilised for the conservation and promotion of biodiversity in the areas falling within the jurisdiction of the concerned local body and for the benefit of the local community in so far as such utilisation is consistent with conservation of bio-diversity.

(4) The account of the local biodiversity fund shall be prepared in such Forms as may be determined by the Board and during each financial year at such time as may be determined.

(5) The Biodiversity Management Committees shall prepare its Annual report, giving full account of its activities during the previous financial year, and submit a copy thereof to the Board and a copy to the general assembly of the local body.

(6) The accounts of the local bio-diversity fund shall be maintained and audited in such manner, as may be determined by the Board.

-----  
**FORM - I**

**See Rule 15**

**Application Form to State Biodiversity Board to access Biological resources  
(See section 7 and 24\* of the Biological Diversity Act 2002)**

**Part - A**

1. Full Particulars of the applicant:
  - 1.1 Name of the applicant:
  - 1.2 Permanent address:
  - 1.3 Address of the contact person / agent, if any, in India:
  - 1.4 Profile of the organization (personal profile in case the applicant is an individual). Please attach relevant documents of authentication:
  - 1.5 Nature of business:
  - 1.6 Turnover of the organization /applicant in Indian Rupee.
2. Details and specific information about nature of access sought and biological material and associated knowledge to be accessed:
  - a) Identification (scientific name) of biological resources and its traditional use;
  - b) Geographical location of proposed collection;
  - c) Description /nature of traditional knowledge;
  - d) Any identified individual/community holding the traditional knowledge;
  - e) Quantity of biological resources to be collected: (give the Schedule):
  - f) Time span in which the biological resources is proposed to be collected:
  - g) Name and number of persons authorized by the company for making the selection:
  - h) The purpose for which the access is requested including the type and extent of research, commercial use being derived and expected to be derived from it;
  - i) Whether any collection of the resource endangers any component of biological diversity and the risks which may arise from the access.
3. Estimation of benefits that would flow to Committees arising out of the use of accessed bio resources and traditional knowledge.
4. Proposed mechanism and arrangements for benefit sharing.
5. Any other information considered relevant



**Part B**  
**DECLARATION**

I/We declare that:

- Collection of proposed biological resources shall not adversely affect the sustainability of the resources;
- Collection of proposed biological resources shall not entail any environmental impact;
- Collection of proposed biological resources shall not pose any risk to ecosystems;
- Collection of proposed biological resources shall not adversely affect the local communities.

I/We further declare the information provided in the application Form is true and correct and I/we shall be responsible for any incorrect/wrong information.

Place .....

Date .....

Signature

Name of the Applicant/ Organization  
and seal

\* Sec 24 of Biological Diversity Act 2002

24. (1) Any citizen of India or a body corporate, organization or association registered in India intending to undertake any activity referred to in section 7 shall give prior intimation in such Form as may be prescribed by the State Government to the State Biodiversity Board.

Power of State  
Biodiversity Board  
To strict certain  
activities:

(2) On receipt of an intimation under sub-section (1), the State Biodiversity Board may, in consultation with the local bodies concerned and after making such enquiries as it's conservation, may deem fit, by order, prohibit or restrict any such activity if it is of opinion that such activity is detrimental or contrary to the objectives of conservation and sustainable use of biodiversity or equitable sharing of benefits arising out of such activity:

Provided that no such order shall be made without giving an opportunity of being heard to the person affected.

(3) Any information given in the Form referred to in sub section (1) for prior intimation shall be kept confidential and shall not be disclosed, either intentionally or unintentionally, to any person not concerned thereto.

By Order,

CHANCHAL KUMAR TEWARY,

Pramukh Sachiv

पी०एस०यू०पी०-ए०पी०-25 राजपत्र (हि०)-2010-(61)-597 प्रतियां-कम्प्यूटर/आफसेट।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी०-1 सा० वन-2010-(62)-1000 प्रतियां-कम्प्यूटर/आफसेट।